कार्यालय प्रभागीय निदेशक,सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया।

पत्रांक 1835 /2-6 **दिनांक, देवरिया, फरवरी** 02 **/2023**

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक

गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर

विषय :– भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा देवरिया–कसया मार्ग (एस0एच0–79) के किमी0 15 से 16 के मध्य बायीं पटरी पर गाटा सं0–1034 ग्राम–सिरवनियां, तहसील व जिला – देवरिया में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन में प्रभावित 0.071528 हे0 संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 03 वृक्षों के पातन अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ :– पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मत्रांलय की अधिसूचना "नई दिल्ली" दिनांक 28.06.2022 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित अधिसूचना द्वारा प्राप्त निर्देश के कम में उक्त विषयक प्रस्ताव भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा देवरिया–कसया मार्ग (एस0एच0–79) के किमी0 15 से 16 के मध्य बायीं पटरी पर गाटा सं0 – 1034 ग्राम – सिरवनियां, तहसील – देवरिया व जिला–देवरिया में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन में प्रभावित क्षे0. 0.071528 हे0 संरक्षित वन भूमि को गैर वानिकी एवं बाधक 03 वृक्षों पातन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसे ऑनलाईन करते हुए तीन प्रतियों में प्रस्ताव की हार्ड कापी एवं सी0डी0 संलग्न कर संस्तुति के साथ इस आशय से प्रेषित है कि वन संरक्षण अधिनियम–1980 के अन्तर्गत स्वीकृति जारी कराने की कृपा करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

R. Jagdeesh

(जगदीश आर)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,देवरिया